भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1348
30.07.2026 को उत्तर के लिए

मानव-वन्यजीव संघर्ष तथा उसके शमन के उपाय

1348. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान दर्ज किए गए मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और प्रजाति-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) ऐसी घटनाओं से उत्पन्न मानव हताहतों, पशुधन हानि और फसल क्षति के मामलों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्ष में वृद्धि के प्रमुख कारणों का आकलन किया है, जिनमें प्राकृतवास की हानि, विखंडन और रैखिक अवसंरचना शामिल हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने न्यूनीकरण उपायों, पूर्व-चेतावनी प्रणालियों, बाड़ लगाने, पुनर्वास प्रयासों और वन्यजीव गलियारों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है, जिसमें मुआवजा वितरण की तत्परता भी शामिल है तथा क्या ये उपाय मानव एवं वन्यजीव दोनों की सुरक्षा को पर्याप्त रूप से सुनिश्चित करते हैं और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) वन्यजीवों का प्रबंधन, जिसमें मानव-वन्यजीव संघर्ष का शमन भी शामिल है, मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो संघर्ष का विवरण तथा उसमें शामिल प्रजातियों का विवरण रखने के अलावा किसी भी संघर्ष की स्थिति में सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले होते हैं।

(ग) मानव-वन्यजीव संघर्ष का कारण जनसंख्या वृद्धि, वन्यजीव पर्यावासों एवं वन्यजीव गलियारों में मानव बस्तियों का विस्तार तथा विकास परियोजनाएं शुरू करना, और सतत संरक्षण प्रयासों के परिणामस्वरूप वन्यजीवों की बढ़ती जनसंख्या को माना जा सकता है।बदलते फसल प्रतिरूपों, वनों के किनारे आवारा मवेशियों एवं कुत्तों की मौजूदगी, वन्यजीव पर्यावासों के विखंडन एवं क्षरण, प्राकृतिक शिकार प्रजातियों की कमी तथा चरने, ईंधन लकड़ी, चारे और अन्य आजीविका संबंधी आवश्यकताओं के लिए वन संसाधनों पर निर्भरता के कारण यह स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है।

(घ) भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक संबंधित प्रजातियों की पारिस्थितिकी तथा व्यवहारगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए प्रजाति-विशिष्ट शमन कार्यनीतियाँ निर्धारित की हैं।इन कार्यनीतियों में टूलकिटों का वितरण शामिल है, जो अन्य बातों के साथ-साथ संघर्ष की घटनाओं से पहले, उनके दौरान तथा उनके बाद उत्पन्न परिस्थितियों के प्रबंधन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। ये दिशानिर्देश विभिन्न बहु-क्षेत्रीय तथा अंतर-क्षेत्रीय मुद्दों का भी समाधान करते हैं, जिनमें संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय, सामुदायिक सहभागिता, जन-जागरूकता सृजन तथा मीडिया प्रबंधन शामिल हैं। मानव-हाथी संघर्ष के प्रबंधन के लिए विशिष्ट परामर्शिकाएं भी जारी की गईं हैं।इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने मानव-बाघ संघर्ष के प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं तथा वैधानिक बाघ संरक्षण योजनाओं के माध्यम से दीर्घकालिक शमन उपायों का भी प्रावधान किया है। इन पहलों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मंत्रालय ने मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन हेतु एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया है, जो मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रभावी प्रबंधन के लिए अनुसंधान, क्षमता निर्माण, ज्ञान का प्रसार, सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों का विकास तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली तकनीकी सहायता को सुविधाजनक बनाता है।

मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों में मुआवज़े का भुगतान मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो ऐसे मामलों में दावों तथा मुआवज़े के भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड रखते हैं।

*****